

25/4/16

**न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।**

**प्रशासनिक आदेश**

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार धारा-167 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत होने वाले सारे रिमाण्ड कार्य Video Confrencing के माध्यम से होंगे और उक्त के सम्बन्ध में माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश से विचार विमर्श के उपरान्त यह आदेशित किया जाता है कि दिनांक 01-05-2016 से अधोलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथियों को Video Confrencing के माध्यम से रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे।

पीठासीन अधिकारी	निर्धारित तिथि
ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या 16, बाराबंकी।	दिनांक 02-5-2016 से 07-5-2016 तक दिनांक 06-6-2016 से 10-6-2016 तक
ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या 19, बाराबंकी।	दिनांक 09-5-2016 से 13-5-2016 तक दिनांक 13-6-2016 से 18-6-2016 तक
ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या 25, बाराबंकी।	दिनांक 16-5-2016 से 21-5-2016 तक दिनांक 20-6-2016 से 25-6-2016 तक
ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या 11, बाराबंकी।	दिनांक 23-5-2016 से 28-5-2016 तक दिनांक 27-6-2016 से 02-7-2016 तक
ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या 17, बाराबंकी।	दिनांक 30-5-2016 से 04-6-2016 तक दिनांक 04-7-2016 से 08-7-2016 तक

साथ ही साथ यह भी आदेशित किया जाता है कि नियत तिथि पर पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की दशा में उक्त तिथि को सम्बन्धित न्यायालय के लिंक अधिकारी द्वारा उक्त रिमाण्ड कार्य सम्पादित किया जायेगा।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

(कुमार प्रशान्त)

सी0जे0एम0 बाराबंकी।

29-4-2016

**प्रतिलिपि**

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ

1. ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या 17, बाराबंकी।
2. ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या 16, बाराबंकी।
3. ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या 19, बाराबंकी।
4. ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या 25, बाराबंकी।
5. ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या 11, बाराबंकी।
6. जेल अधीक्षक, जिला कारागार बाराबंकी।
7. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, बाराबंकी।

सी0जे0एम0, बाराबंकी।

29-4-2016